

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :-

पटना-15, दिनांक- 4/2/2025

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....517...../डॉ0 राकेश कुमार कुमुद, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....518...../डॉ0 अरुण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....519...../डॉ0 विनय कुमार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, बाढ़, पटना को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....520...../डॉ0 उज्जवल कुमार, पशु शल्य चिकित्सक, सारण, छपरा को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....521...../डॉ0 इन्तेखाब अखतर, पशु शल्य चिकित्सक, बाँका को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....522...../डॉ0 कमलेश प्रसाद सिंह, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....523...../डॉ0 सुधेन्दु, जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में विशेष उप निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

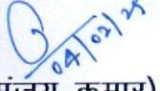
संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....524...../डॉ0 चन्द्रशेखर आजाद, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमूर को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-.....525...../डॉ0 राज कपूर, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम की सेवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना से वापस लेते हुए अगले आदेश तक पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास (24X7) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/स्था0 (7) 708/2024-526/डॉ0 राजीव कुमार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज को अगले आदेश तक अपने ही कोटि वेतनमान में अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, बाढ़, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने वर्तमान पद का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौंपकर नवपदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभार नहीं सौंपने वाले पदाधिकारी नवपदस्थापित स्थान के लिए दिनांक-11.02.2025 से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

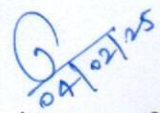
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुमंजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 708/2024-527 /पटना-15, दिनांक- 4/2/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

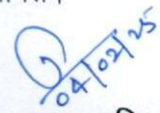
ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 708/2024-527 /पटना-15, दिनांक- 4/2/2025

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/संबंधित विशेष उप निदेशक, पशुपालन/संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित पशु शल्य चिकित्सक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 708/2024-527 /पटना-15, दिनांक- 4/2/2025

प्रतिलिपि:-विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।